

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

सादुलसिंह आदि बनाम गजराजसिंह आदि


दावा बाबत :- S.R.P Act

मुकदमा नम्बर :- 335/2021

निर्णय दिनांक :- 16-11-2021

वादी की ओर से वकील मंजीराम गोखामे की व प्रतिवादी सं० 1 राजसिंह की ओर से वकील सरजीत सिंघानिया की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि राही मौजा अजितपुरा के खाता सं: 675/709 के खखरा सं: 367 की प.उप है कारनी खातेदारी रणधीरसिंह के नाम पर 1/2 हिस्सा राजसिंह रिवाडि में दर्ज है मैं से रणधीरसिंह का नाम कलमजम किया जाकर वादीगण सं 1 सादुलसिंह व वादीगण सं 2 मोहनसिंह को संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं 1 गजराजसिंह, प्रतिवादी सं 2 मोहितसिंह प्रतिवादी सं 3 सुमन केवर को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा के खातेदार को हतकार घोषित किया जाता है तथा वादग्रही में वादीगण की दर्ज भूमि में जाति-जाट के स्थान राजपूत व साकिन जोगीवाल के स्थान पर अजितपुरा दर्ज किया जावे भूमि प्रतिवादी सं 4 पता 6 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर लिया है इसलिए लयाजा किया गये हिस्से पर पंजायतु विभाग को देय पंजायतु अल्प एवं स-2 आ 2 युय अदा करने व यदि रदन होता रहने मुक्त होने के उपरान्त ही राजसिंह रिवाडि में अमल कराव किया जावे राजीनामा को डिक्री को खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 कैम्प अजितपुरा
 भादरा, जिला हनुमानगढ़